



Neutral Citation No. - 2026:AHC:2021

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 28592 वर्ष 2025

रवि कुमार मौर्य

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: संजय कुमार, सुनील कुमार यादव

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री आर. के. गौतम और श्री सुनील कुमार यादव, राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान एजीए श्री पुनीत कुमार सिंह की दलीलें सुनीं और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत यह जमानत याचिका आवेदक रवि कुमार मौर्य की ओर से दायर की गई है, जिसमें उन्हें मुकदमा अपराध संख्या 105/2025, धारा अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8/20, 27ए, 29, 60, मादक औषधि एवं मनोरोगी पदार्थ अधिनियम, 1985, पुलिस स्टेशन-बभानी, जिला- सोनभद्र में जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।

आवेदक के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि 63.600 किलोग्राम गांजा टाटा सूमो कार से बरामद किया गया था, जिसे सह-आरोपी अविनाश कुमार यादव चला रहा था, और आवेदक को चालक की सीट के ठीक बगल वाली सीट पर बैठा दिखाया गया था। वास्तव में, ऐसी कोई बरामदगी नहीं हुई थी। आगे यह भी कहा गया है कि चूंकि ऐसी बरामदगी किसी स्वतंत्र गवाह द्वारा समर्थित नहीं है, इसलिए अपराध में उसे झूठा फंसाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। आवेदक के अधिवक्ता का कहना है कि इस मामले में आरोपपत्र पहले ही 9.8.2025 को दाखिल किया जा चुका है और आवेदक से आगे की हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। मामला बहुत धीमी गति से चल रहा है। मुकदमे के शीघ्र निष्कर्ष की कोई संभावना नहीं है। यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदक पूरी तरह से निर्दोष है और उसे अनावश्यक उत्पीड़न और पीड़ित करने के उद्देश्य से इस अपराध में झूठा फंसाया गया है। आवेदक, जो 7.7.2025 से जेल में है और जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, उसे जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि आवेदक की निर्दोषता का निर्णय मुकदमे से पहले के चरण में नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह प्रतिबंधित वस्तुओं की आपूर्ति में शामिल है। इसलिए, आवेदक किसी भी प्रकार की रियायत का हकदार नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह फिर से इसी प्रकार की गतिविधि में लिप्त हो जाएगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मामले के तथ्यों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक अधिकार, आरोपों की प्रकृति, उनके समर्थन में साक्ष्यों की प्रकृति, दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप मिलने वाली सजा की गंभीरता, आरोपी-आवेदक का चरित्र, आरोपी से संबंधित विशिष्ट परिस्थितियाँ, मुकदमे में आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करने की उचित संभावना, गवाहों के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका, जनहित/राज्य के व्यापक हित और अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मैं इस विचार का हूँ कि यह जमानत देने के लिए उपयुक्त मामला है।

अतः, जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

उपरोक्त मामले में आरोपी **रवि कुमार मौर्य** को निजी मुचलके और दो जमानती पेश करने पर जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वे संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि के मुचलके प्रस्तुत करें। निम्नलिखित शर्तों के साथ:

1. आरोपी जांच या मुकदमे के दौरान गवाहों को डरा-धमकाकर या उन पर दबाव डालकर अभियोजन साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आरोपी बिना किसी स्थगन की मांग किए मुकदमे में पूरी ईमानदारी से सहयोग करेगा।
3. जमानत पर रिहा होने के बाद आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा या कोई अपराध नहीं करेगा।

उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा। जमानत स्वीकार किए जाने से पहले आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण की संबंधित न्यायालय द्वारा पुष्टि की जाएगी।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6 जनवरी, 2026

रवि प्रकाश.

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।